



(426)



व्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मंड़्य प्रदेश भवालियर म.प्र.

प्रकरणात्माक

/2016 निगरानी

गज - 3355 I-16

झुनि सिंह पुत्र भवानी सिंह आयु 59 साल

व्यवसाय - कृषि, निवासी - फतेहपुर, तहसील

बासौदा जिलाविदिशा म.प्र -- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

दिनांक २४.९.१६ का
क्रम अमानी भवानी सिंह
करा उम्मत।

धर्म
२४.९.१६
२८.९.१६ ५०

A.ah
अ.र.वी.सी.ए
२८.९.१६

- 1- जसबन्त सिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी बैहलोटवायास, कुमुद पैलेस के पीछे, गज बासौदा जिला विदिशा
- 2- श्रीमती रामकली पत्नी प्राणी सिंह पुत्री भवानी सिंह निवासी ग्राम परिषद म.प्र.
- 3- श्रीमती रम्भा पत्नी केसरी पुत्री भवानी सिंह निवासी ग्राम कोलिजा जिला विदिशा म.प्र.
- 4- श्रीमती कुम्म बाईपत्नी नबल सिंह पुत्री भवानी सिंह निवासी ग्राम गोद जिला विदिशा म.प्र.
- 5- गजनद सिंह पुत्र झुनि सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर जिला विदिशा
- 6- नहा पुत्री जसबन्त आयु ३। साल नि. बैहलोटवायास कुमुद पैल से पीछे गज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
- 7- सोनम पुत्री जसबन्त सिंह आयु २५ साल निवासी बैहलोटवायास कुमुद पैल से पीछे गज बसा सौदा विदिशा

— रेस्पोडेंट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्वसंहिता विरुद्ध आदेश दिनांक ०३००६-०६-२०१६-व्याया. अस्त्रविभागीय राजस्व बासौदा जिला विदिशा के पु.क्र. २३/अपील / १५-१६ झुनि सिंह बनाम जसबन्त सिंह से व्याधित होकर

==== R.S.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3355-एक/16

ज़िला - विदिशा

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, ज़िला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	